



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-03122025-268149
CG-UP-E-03122025-268149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947
No. 770]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

अधिसूचना

प्रयागराज, 3 सितम्बर, 2025

फा .सं. समि.अनु./एसटी 2(4)/2025/2873.—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (संख्या 26, वर्ष 2005) की धारा 28(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने 17 अप्रैल, 2010 को आहूत अपनी 14वीं बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियम 2 के खंड 4 में कुलपति की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने और पुनर्नियुक्ति की पात्रता संबंधी प्रावधान के संबंध में संशोधन किया था। उक्त संशोधन की संस्तुति, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने कुलाध्यक्ष के रूप में प्रदान की है, जिसकी सूचना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 32-09/2014-डेस्क(यू) दिनांक 6 फरवरी, 2015 के द्वारा प्राप्त हुई है।

परिनियम 2(4) – कुलपति

संशोधन के बाद, परिनियम 2 के अंतर्गत संशोधित खंड 4 इस प्रकार पढ़ा जाए:-

2(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा/करेगी और वह पुनर्नियुक्ति का/की पात्र होगा/होगी।

प्रो. आशीष खरे, कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./506/2025-26]

UNIVERSITY OF ALLAHABAD**NOTIFICATION**

Prayagraj, the 3rd September, 2025

F. No. Comm.Sec./St.2(4)/2025/2873.—In exercise of the powers vested in it, under the provision of Section 28(2) of the University of Allahabad Act, 2005 (No.26 of 2005), The Executive Council of the University in its 14th meeting, held on 17th April, 2010 had made amendment to the Clause 4 of the Statute 2 of the University of Allahabad Act, 2005 concerning the provision for extending the age of superannuation of Vice-Chancellor from 65 to 70 years and eligibility for re-appointment thereof. This has the approval of the Hon'ble President of India in his capacity as Visitor, as conveyed by the letter no. 32-09/2014-Desk (U) dated February 6, 2015 of the Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Statute 2(4) – The Vice-Chancellor

After amendment, the amended Clause 4 under the Statute 2 reads as under:-

2(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his/her office or until he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment.

Prof. ASHISH KHARE, Registrar

[ADVT.-III/4/Ext./506/2025-26]